

**ग्राम पंचायत री, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत री, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री अशोक कुमार	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री विनय कुमार	23.01.16 से अद्यतन

सचिव:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत री, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
2	पैरा-5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.19
3	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	13.99
4	पैरा-7	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	-
5	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	-
6	पैरा-9	खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर	-

उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्वत) में
अन्तरित न करना

7 पैरा-10 निर्माण सामग्री के क्रय में अधिक भुगतान

0.11

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत री, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 12.06.17 से 15.06.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	11/2014
2015-16	05/2015	07/2015
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत री, विकास खण्ड सुजानपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 402 दिनांक 15.06.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 046878 (PNB) दिनांक 16.06.17 के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत री, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्रोत:- ग्राम पंचायत री, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक के स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	271395	56744	32813	8508	319631
			9		
2015-16	319631	51108	37073	7312	363427
			9		
2016-17	363427	66196	42962	1565	413968
			3	5	

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत री, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	401899	1358527	176042	117132	589104
			6	2	
2015-16	589104	2002235	259133	142247	1168869
			9	0	
2016-17	116886	2749088	391795	251939	1398563
	9		7	4	

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत:-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹413968

अनुदान:-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1398563

कुल अंतिम शेष ₹1812531

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹1812531

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN. (B) PNB-42480	437986.97
GEN. (A) PNB-19096	413968.30
NBA KCCB-60060	5707.97
RAY, PNB-49182	0
IAY, PNB-49191	1886.60
13 th FC & 14 th FC, PNB-42471	884792.45
WDF-HARIYALI KCCB-38935	60413.00
WELFARE, A/C NO. -77362	7776.00
MNREGA, PNB -00770	0
कुल राशि	1812531.29

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत री की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं

किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में गृहकर एवं मोबाइल टावर फीस के रूप में वसूली हेतु ₹18650 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹18650 की वसूली शेष थी ।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की अपेक्षित मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	10560	10560	10480	80
2015-16	80	10900	10980	10760	220
2016-17	220	17400	17620	16470	1150

2. जांच में पाया कि वर्ष 2010 में रिलायंस कंपनी का मोबाइल टावर पंचायत क्षेत्र में स्थापित किया गया था, लेकिन उक्त कंपनी से मोबाइल टावर की स्थापना फीस एवं नवीनीकरण फीस प्राप्त नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण के दौरान सूचित किया गया कि उक्त मोबाइल टावर की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की वसूली नहीं की जा रही है एवं टावर की स्थापना फीस ₹4000 एवं नवीनीकरण फीस ₹13500 (अवधि 2011-12 से 2013-14 तक ₹2000 प्रति वर्ष एवं वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक ₹2500 प्रति वर्ष) की वसूली करना अपेक्षित है। अतः ₹17500 की वसूली मोबाइल टावर कंपनी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6 अनुदान ₹13.99 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1398563 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के

स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹500000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

क्र.सं	अवधि	कार्य का नाम
		General Cash Book
1	2015-16	नि. आँगन बाड़ी भवन, भलाणा 13 th FC
2	-do-	नि. लिंक रोड लौहल चबूतरा रोड से विनोद के घर तक

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें आमंत्रित करना इत्यादि) प्रावधित है। जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में पंचायत में सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित किए बिना ही किया गया था। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र.सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
--------	--------------	--------------	------------------	------	--------------

General Cash Book					
1	44 दिनांक 06.02.15	Bill No. 750 Dated 25.10.14, M/S JP Enterprises	स्टील	15800.00	नि. शमशान घाट अरुड़ नाला
2	45 दिनांक 06.02.15	Bill No. 755 Dated 07.11.14, M/S JP Enterprises	स्टील	9092.00	-do-
3	19 दिनांक 24.07.15	Bill No. 110 Dated 09.09.14, M/S Thakur Building materials	निर्माण सामग्री	4200.00	नि. शौचालय
4	20 दिनांक 24.07.15	Bill No. 467 Dated 11.09.14, M/S Aman Traders	निर्माण सामग्री	6000.00	-do-
5	22 दिनांक 24.07.15	Bill No. - Dated -, M/S Virender Kumar	निर्माण सामग्री	4200.00	-do-
6	23 दिनांक 24.07.15	Bill No. 442 Dated 11.09.14, M/S Aman Traders	निर्माण सामग्री	6000.00	-do-
7	25 दिनांक 24.07.15	Bill No. - Dated -, M/S Jasvir Singh	निर्माण सामग्री	4200.00	-do-
8	50 दिनांक 24.01.16	Bill No. 1257 Dated 25.08.16, M/S JP Enterprises	स्टील	49440.00	नि. आँगन बाड़ी भवन, भलाणा
13th FC					
9	3 दिनांक 06.06.14	Bill No. 151 Dated -, M/S Dev Industry	गेट	7500.00	नि. बाबड़ी नजदीक विनोद कुमार के घर
10	4 दिनांक 24.12.14	Bill No - Dated -, M/S Surjeet Kumar	निर्माण सामग्री	10500.00	नि. दीवार चन्देल वस्ती भलाणा नजदीक भगवान दास के घर
11	13 दिनांक 16.11.15	Bill No 221 Dated -, M/S Jasvir Singh Thakur	निर्माण सामग्री	33000.00	नि. लिंक रोड लौहल चबूतरा रोड से विनोद के घर तक
12	15 दिनांक 16.11.15	Bill No 224 Dated -, M/S Jasvir Singh Thakur	निर्माण सामग्री	6500.00	नि. पक्का रास्ता लिंक रोड नजदीक ब्रह्मी देवी के घर
13	53 दिनांक 24.03.17	Bill No. 1439 Dated 15.02.17, M/S JP Enterprises	स्टील	6782.00	नि. बौड़ी मनीष कुमार
MNREGA					
14	21 दिनांक	Bill No. 758 Dated	स्टील	4600.00	नि. सिंचाई टैंक,

	24.11.14	25.09.14, M/S JP Enterprises			देश राज भलाणा
15	22 दिनांक 24.11.14	Bill No. -Dated -, M/S Jasvir Singh	निर्माण सामग्री	6000.00	-do-
16	25 दिनांक 24.11.14	Bill No. 756 Dated 25.09.14, M/S JP Enterprises	स्टील	4600.00	नि. सिंचाई टैंक, प्रवीण कुमार भलाणा
17	26 दिनांक 24.11.14	Bill No. -Dated -, M/S Jasvir Singh	निर्माण सामग्री	5000.00	-do-
18	30 दिनांक 24.11.14	Bill No. -Dated -, M/S Jasvir Singh	निर्माण सामग्री	7500.00	नि. नाली कीरता राम के घर से गाँव री तक

9 खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्रौत) में अन्तरित न करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता-ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के मास में खाता-क (स्व स्रौत) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था। लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता-ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता-क (स्व स्रौत) में अन्तरित नहीं किया गया था जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार ब्याज की राशि को खाता-क (स्व स्रौत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

10 निर्माण सामग्री के क्रय में ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान:-

वर्ष 2015-16 के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि एक ही अवधि में एक ही आपूर्तिकर्ता से निर्माण सामग्री का क्रय अलग-2 दरों पर किया गया था, जिससे पंचायत को ₹11000 की हानि हुई थी। अलग-2 दरों में किए गए क्रय का विवरण निम्नलिखित है:-

वाउचर संख्या 13 दिनांक 16.11.15 (13 th F.C.)	वाउचर संख्या 15 दिनांक 16.11.15 (13 th F.C.)	वाउचर संख्या 13 दिनांक 16.11.15 में अधिक भुगतान
Bill No 221 Dated -, M/s Jasvir Singh Thakur 15 ट्राली बजरी @₹1500 प्रति ट्राली =22500 7 ट्राली पत्थर @₹1500 प्रति ट्राली =10500	Bill No 224 Dated -, M/s Jasvir Singh Thakur 2 ट्राली बजरी @₹1000 प्रति ट्राली=2000 2 ट्राली पत्थर @₹1000 प्रति ट्राली=2000 1 ट्राली रेत @₹2500 प्रति ट्राली=2500	15 ट्राली बजरी @₹500 प्रति ट्राली= 7500 7 ट्राली पत्थर @₹500 प्रति ट्राली =3500

उक्त क्रय से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 में अलग-2 दरों पर निर्माण सामग्री का क्रय करके पंचायत निधि को ₹11000 की हानि पहुंचाई गई

थी। अतः वाउचर संख्या 13 दिनांक 16.11.15 में किये गए अनियमित/अधिक भुगतान ₹11000 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के साथ-2 अन्य माहों में इस प्रकार के अनियमित भुगतानों की गणना अपने स्तर पर करके उनकी भी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

11 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. रसीदों का भण्डार रजिस्टर में रख-रखाव न करना ।
3. मोबाइल टावर रजिस्टर का रख-रखाव न करना ।
4. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
5. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
6. लेखन सामग्री के रख-रखाव से संबन्धित भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष:-लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

सहायक निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं० 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:-फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(6)20/2017-खण्ड-1-5661-5664 दिनांक 16.09.17 शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत री, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सजानपुर, जिला हमीरपुर

(हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620046